

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

अरसद अली वगै०

बनाम

प्रकाश वगै०

दमा नं० :- 376/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 ता 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 06.05.2025 को पेश हो।</p>	
06.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खाता सं० 310 के खसरा नम्बर 617/165 रकबा 1.3700 है० ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं० 310 के खसरा नम्बर 617/165 रकबा 1.3700 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जिला-जयपुर

(मुद्रित/हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ